

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 231 / 11-सी-FP/UP/Approach/151434/2022, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 26, 2023
सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, कानपुर द्वारा जनपद-फतेहपुर के अंतर्गत फतेहपुर-बबेरू-अर्तारा-करतल मार्ग (एस०एच०-71) के किमी० सं०-23 (चैनेज सं०-22.023 से 22.98) के दांयी पटरी पर ग्राम-देवलान, परगना-गाजीपुर, तहसील-सदर, जनपद-फतेहपुर की गाटा सं०-28क में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.276 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

विषय:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/७९/२०२२/एफ०सी०/१७७, दिनांक 29.06.2023 एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, प्रयागराज का पत्रांक-237/15-1, दिनांक 20.07.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, प्रयागराज के उपरोक्त पत्रांक-237/15-1, दिनांक 20.07.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 231 / 11-सी-FP/UP/Approach/151434/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, प्रयागराज।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, फतेहपुर।
3. चीफ रीजनल मैनेजर, कानपुर रिटेल रीजनल ऑफिस हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, कानपुर।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

पत्रांक :- 234 /15-1, दिनांक, प्रयागराज, जुलाई, 20 2023।
सेवा में

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर-बवेरु-
अर्तरा-नैरनी-करतल मार्ग (एस.एच.-71) के किमी. संख्या 23 (चैनेज-22.038 से 22.098) दायाँ
पटरी ग्राम-देवलान, परगना-गाजीपुर, तहसील-सदर, जनपद-फतेहपुर की गाटा संख्या 28क
में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.276 हे० संरक्षित वन भूमि
के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र
संख्या-8वी/यू.पी./06/79/2022/एफ.सी./177 दिनांक 29-06-2022 एवं आपका पत्रांक
24/11-सी दिनांक 01-07-2022।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय
कार्यालय (मध्य) के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 04-05-2023 द्वारा निर्गत सौद्धान्तिक स्वीकृति की विन्दुवार
अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फतेहपुर ने अपने पत्रांक 62/27-4, दिनांक
10-07-2023 द्वारा इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित किया गया है :-

Sr. No	Conditions	Status of Compliance
1	The legal status of the land shall remain unchanged.	शर्तसंख्या 1 के अनुपालन में प्रयोज्यता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 0.276X2=0.552 ha. (552 trees) in LahuriSarayan-Chilli Marg Km. 1.5 to 3.00, Amauli Range, District-Fatehpur at the cost Of the User Agency. As for as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species had to be avoided. Accordingly revised CA scheme shall be submitted and uploaded on PARIVESH portal.	शर्त संख्या 2 के अनुपालन में प्रयोज्यता अभिकरण द्वारा प्रभावित क्षेत्र के बदले क्षेत्र में 552 पौधों के क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि UTR No. PUNBR2023041913923591 दिनांक 19.04.2023 द्वारा रु० 573430.00 जमा कर दिया गया है। जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की धनराशि रु० 309082.00 समाहित है। प्रमाण पत्र सलग्न है।
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per revised compensatory afforestation for plantation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में प्रयोज्यता अभिकरण द्वारा प्रभावित क्षेत्र के बदले क्षेत्र में 552 पौधों के क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि UTR No. PUNBR2023041913923591 दिनांक 19.04.2023 द्वारा रु० 573430.00 जमा कर दिया गया है। जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की धनराशि रु० 309082.00 समाहित है। प्रमाण पत्र सलग्न है।
4	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) Rs. 264348.00 for the 0.2760 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Humble Supreme Court of India date 30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 and 09-05-2008 in IA No. 566 in	शर्तसंख्या 4 के अनुपालन में प्रयोज्यता अभिकरण द्वारा प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.1106 हे० की NPV की धनराशि UTR No. PUNBR2023041913923591 दिनांक 19.04.2023 द्वारा रु० 573430.00 जमा कर दिया गया है। जिसमें NPV की धनराशि की धनराशि रु० 264348

	WP(c) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC date 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as Applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	00 समाहित है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	Additional amount of NPV of diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User shall furnish an undertaking to this effect.	शर्तसंख्या 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकर्ता का वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्तसंख्या 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकर्ता का वचन जारी FRA, certificate 2006 संलग्न है।
7	No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	शर्तसंख्या 7 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकर्ता का वचन बद्धता प्रमाण पत्र एव डीएफओ, कानपुर का प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	Greenery will be maintained by user around Periphery of petrol pump.	शर्तसंख्या 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकर्ता का वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
9	User Agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees the same shall be demarcated by 2 feet wall.	शर्तसंख्या 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकर्ता का वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.	शर्तसंख्या 9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकर्ता का वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any exiting RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	शर्तसंख्या 11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकर्ता का वचन बद्धता प्रमाण पत्र एव डीएफओ, कानपुर का प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्तसंख्या 12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकर्ता का वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13	The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with period of lease to be granted in favor of user agency or the project life, whichever is less.	शर्तसंख्या 13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकर्ता का वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-	शर्तसंख्या 14 के अनुपालन में अनुपालन में अतिरिक्त वृक्षारोपण स्थल की फाइल ई-गोत वॉटर पोइंट पर अपलोड करवाने की कार्यवाही विधिवत स्वीकृति जारी है।

	green watch portal with all the requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking stage II Approval, as the case may be.	से पूर्व कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।
15	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्तसंख्या 15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
16	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred deposit to CAMPA fund only thorough e-portal (http://parivesh.nic.in).	शर्तसंख्या 16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से जनरेट चालान द्वारा किया गया है। वचन बद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
17	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	शर्तसंख्या 17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
	CA amount as per proposal	Rs. 309082.00
	CA amount deposited	Rs. 309082.00
	Difference in amount	0
	Reason for difference	0
	NPV amount as per proposal	Rs. 264348.00
	NPV amount deposited	Rs. 264348.00
	Difference in amount	0
	Reason for difference	0
	Any other amount deposited-(Plantation and 10 years maintenance of dwarf plants under transmission line)	Rs. 0.00
	CAMPA confirmation	Payment has been made through E-Payment by Transaction Reference Number - UTR No. PUNBR52023041913923591 Dated 19-04-2023 in CAMPA fund, CAMPA confirmation receipt enclosed here with us.

अतः उपरोक्तानुसार सूचना एवं ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति एवं सम्बन्धित समस्त वचनबद्धता प्रमाण-पत्र एतदसह सलग्न कर 03 प्रतियों में अधोतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
सलग्नक - यशोपरि (03 प्रतियों में)

भवदीय

(अखिलेश पाण्डेय)

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

संख्या :- 237 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रयागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, प्रयागराज को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि चीफ रिजनल मैनेजर, कानपुर रीटल रिजनल ऑफिस हिन्दुस्तान पेट्रोलिमिय कॉर्पोरेशन लि० कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अखिलेश पाण्डेय)

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।